फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल कंसारा पुत्र स्व. श्री उदयलालजी नि. देवगढ़ – मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द जिला राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 28/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्रांक क्रमांक एफ.1()सू0अ0,05/प्र.अपील/2023/418–419 दि. 16.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में से बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना का संबंध इस कार्यालय से नही होकर कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द व पुलिस विभाग राजसमन्द की होने के कारण इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 213–215 दिनांक 16.03.2022 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधि. 05 की धारा 6(3)(1)(2) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद् राजसमन्द को एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना का संबंध पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस विभाग, राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक से प्रेषित किया गया है अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में जरिये ई–मेल दिनांक 31.03.2023 को प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 06.04.2023 को प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 306 दिनांक 06.04.2023 से अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 02 की सूचना के संबंध में सूचित किया गया कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(22) प्रसू./सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 03 के तहत प्रावधित नही है, संधारित कार्यालय से प्राप्त करने का श्रम करें। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना इस कार्यालय से नही होकर कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द व पुलिस विभाग राजसमन्द की होने से संबंधित विभाग से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(22) प्रसू./सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 03 के तहत भी प्रावधित नही है तथा वांछित सूचना संधारित कार्यालय से ही प्राप्त करने का उक्त परिपत्र जारी किया हैं।

अतः वांछित सूचना का संबंध कार्यालय लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से नही होने के कारण उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द. को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद